14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन पर तकनीकी पेटेन्ट अनुदान उपरोक्त पैरा 6 के उप पैरा 6.1 एवं 6.2 के अनुसार दिया जावेगा. जिसकी अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में कुल अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित तकनीकी पेटेंट अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो तकनीकी पेटेंट अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी.

6.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उप पैरा 6.4 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 28-09-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-2.3 के उप पैरा-2.3.7 के सीरियल क्रमांक त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये अर्थात् :—

i. कंडिका 2.3.7 में उप कंडिकाओं के सीरियल नम्बर (स) एवं (द) के स्थान पर क्रमश: सीरियल नम्बर (अ) एवं (ब) स्थापित किया जाये.

ii कंडिका 2.3.7 (ब) [वर्तमान में (द)] के ii (क) में शब्द "अधिकतम" को शब्द "न्यूनतम" से प्रतिस्थापित किया जाये.

iii कंडिका 2.3.7 (ब) [वर्तमान में (द)] के ii में (क), (ख) तथा (ग) के पश्चात् निम्नानुसार (घ) जोड़ा जाये :—

(घ) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) के प्रावधान को शिथिल कर सकेगा.

(दो) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा 2.5 के उप पैरा-2.5.5 एवं उप पैरा 2.5.10 के नीचे निम्नानुसार टीप जोड़ी जाये :—

टीप :— लीजडीड की कंडिकाओं के अनुसार आवंटित भू-खण्ड का उपयोग करने वाले उद्योगों के प्रकरणों में निम्न स्थितियों में लीजडीड में संशोधन को भू-भाटक एवं संधारण शुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु संशोधन नहीं माना जायेगा :—

(क) मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व में परिवर्तन के बिना केवल इकाई के नाम में परिवर्तन.

(ख) मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व को परिवर्तन किये बिना Form of Incorporation में हुआ संशोधन/परिवर्तन.

(ग) इकाई द्वारा उत्पादनरत् उत्पादों में क्षमता का विस्तार.

उक्त (क) एवं (ख) में मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व में परिवर्तन इस नियम की कंडिका क्र. 3.4.1.1 (अ) एवं (ब) तथा कंडिका क्र. 3.4.1.3 (अ) अनुसार मान्य होगा.

(तीन) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा 2.9 के उप पैरा-2.9.5 के प्रथम पैरा की तीसरी पंक्ति में शब्द "निष्पादन" को शब्द "पंजीयन" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. इस संशोधन के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की गई है.

3. ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 20-36/2014/11/6.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-01-2015 द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2014-19 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) स्टार्ट अप पैकेज का लाभ स्टार्ट अप यूनिट्स को देने के लिये प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014-19 में कंडिका-15 में उप कंडिका 15.25 निम्नानुसार जोड़ी जाये :—

15.25 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट को प्रदेश में उत्पादन प्रारंभ करने पर उसे औद्योगिक नीति 2014-19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा. इसमें उद्योग एवं सेवा इकाईयां दोनों सम्मिलित होंगी तथा ऐसी स्टार्ट अप यूनिट को नवीन परिशिष्ट-6 (अ) अनुसार अनुदान एवं छूट पात्रतानुसार प्राप्त होंगे.

(दो) औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषाएं में निम्नानुसार अनुक्रमांक-54 जोड़ा जाये :—

54 स्टार्ट अप की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है. इसके अनुसार किसी संस्था को निम्नानुसार स्टार्ट अप माना जाये :—

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष तक,

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

(ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिकी संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यिकरण के संबंध में कार्य कर रहा है, पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निमाण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को स्टार्ट अप नहीं माना जाएगा.

(घ) इस अधिसूचना में दिये गये निम्न स्पष्टीकरण भी मान्य होंगे :—

स्पष्टीकरण :—

1. कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक होने पर स्टार्टअप के रूप में नहीं माना जाएगा.

2. संस्थान का अर्थ है—कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत).

3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित किए अनुसार है.

4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यिकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यिकरण करना है :

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा